

प्रेषक,

विमल किशोर गुप्ता,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,  
डॉ० भीमरव अम्बेदकर विश्वविद्यालय,  
आगरा।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ:दिनांक: 30 अगस्त, 2010

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक:सम्बद्धन/24/10, दिनांक 10-05-2010 एवं पत्रांक:सम्बद्धन/704/10, दिनांक 11-08-2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन अलवरकात इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, अनूपशहर रोड, अलीगढ़ को शिक्षा संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०एड० पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01-07-2010 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:-

- (1) संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
- (2) महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी०एड० पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन-पाठन कराया जायेगा।
- (3) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- (4) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(विमल किशोर गुप्ता)  
विशेष सचिव।

६

..2/-

संख्या-1779(1)/सत्तर-2-2010-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए-46, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर।
- (2) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (3) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बालूगंज, आगरा।
- (4) सचिव/प्रबन्धक, अलबरकात इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, अनूपशहर रोड, अलीगढ़।
- (5) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री।
- (6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विमल किशोर गुप्ता)  
विशेष सचिव।

Mr. Ahmad Mustafa Siddiqui  
Joint Secretary  
Al-Barkat Educational Society  
Anoopshahr Road  
Aligarh,  
Uttar Pradesh - 202 122

Please refer to your letter dated 06.06.2010 forwarded through appropriate in the prescribed format for obtaining the confirmation of minority status for your institute.

The Commission vide its Order dated the 25.11.2010 has decided to issue the Minority Status Certificate to Al-Barkat Institute of Education, Anoopshahr Road, Aligarh, Uttar Pradesh. Enclosed herewith the Minority Status Certificate dated the 25.11.2010 in original, in respect of the said institute.

Please acknowledge receipt.

Yours faithfully,

Enc: As above

(R. Bhanu Singh)  
Secretary  
Tel. No. 2334729